


FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर अलवर मुकाम अलवर
उनवान खुशीद बनाम सरकार जरिये एसएचओ मालाखेड़ा, अलवर
किरम मुकदमा प्रार्थना-पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट
प्रा०पत्र नम्बर 15/02/2026 दायर दिनांक 13.01.2026

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही गय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.03.2026	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन ट्रक रजि० संख्या HR-55-E-6679 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी थाना मालाखेड़ा से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। थानाधिकारी द्वारा पत्रांक 675 दिनांक 14.02.2026 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि जप्तशुदा वाहन ट्रक रजि० संख्या HR-55-E-6679 को श्रीमान के द्वारा नियमानुसार दी जाती है तो पुलिस थाना मालाखेड़ा को कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा०पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/- (शब्देन पांच लाख रूपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे तथा जब्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द-बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। इसी कदर/अनुसार वकील प्रार्थी द्वारा तस्दीकशुदा सुपुर्दनामा/जमानतनामा पेश किया। शामिल पत्रावली किया गया। पुलिस थाना थानाधिकारी मालाखेड़ा जिला अलवर को जब्तशुदा वाहन ट्रक रजि० संख्या HR-55-E-6679 को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफतर दाखिल हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला कलक्टर अलवर</p>	